राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

हाकल अली : बनाम : यासीन

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **150/1999**

अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : **03** फरवरी**, 2006**

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री एस.जी.ओझा,
रेस्पोंडेण्ट के अधिवक्ता श्री संजय माथुर की ओर से
श्री जी.आर.भारी।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील जिला न्यायाधीश, चुरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.1999 की नाराजगी में प्रस्तुत हुई है।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एह वादी वादी यासीन द्वारा प्रतिवादी हाकम अली के विरूद्ध 58,500/- रूपए का इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी मजदूरी करने के लिए सल्तनत ऑफ ऑमान के शहर सुहार गया हुआ था जहां वह एक कम्पनी में कार्यरत् था। प्रतिवादी भी उसी कम्पनी में कार्य करता था एवं दोनों ही चुरू के निवासी हैं अतः दोनों के अच्छी घनिष्ठता थी। सुहार में कार्य करते हुए प्रतिवादी ने 500 ऑमानी रियाल जो भारतीय मुद्रा में 50,000/- रूपए बनते हैं, वादी से उधार

लिए और शीघ्र अदा करने का वादा भी किया। मगर 6 माह बीतने पर भी प्रतिवादी ने वादी को उपरोक्त राशि अदा नहीं की तथा भारत लौटने की तैयारी करने लगा तो वादी ने जोर दिया तब प्रतिवादी ने कहा कि उसने सारी रकम भारत भेज दी है सो वहीं अदा करेगा। उसके पास टिकट व खर्चे के पैसे नहीं बचे हैं। प्रतिवादी और वादी के मध्य 500 ऑमानी रियाल का अनुबन्ध 29.6.1996 को उचित अधिकारी जज ऑफ शहर कोर्ट के समक्ष लिखवाकर सत्यापित करवाया, जो असल व उसका अंग्रेजी अनुवाद दावे के साथ संलग्न किया गया। प्रतिवादी ने वादी से 4.7.1996 को 8500/- रूपए भी प्राप्त किए और एक पर्चा लिखकर वादी को दिया व एक माह में भारत में वादी के घर पर उपरोक्त राशि की अदायगी कर देगा। प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 4.7.1996 को जो अनुबन्ध किया था उसकी पालना में तय किये गये अनुसार 15 ऑमानी रियाल, जिनकी भारतीय मुद्रा में कीमत 1500/- रूपए होती है, का मासिक किश्त के रूप में प्रतिवादी वादी को अदा करेगा। मगर प्रतिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया गया और सुहार (सल्तनत ऑफ ऑमान) से आकर चुरू में रिहायश करने लग गया। 29.6.1996 को लिखी गई व 4.7.1996 को लिखी गई रसीद की कुल राशि 58,500/- रूपए वादी प्रतिवादी में मांगता है, जो प्रतिवादी ने अदा नहीं किए हैं। इस प्रकार उपरोक्त रकम की डिक्री व खर्चे के साथ डिक्री चाही है। प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर 500 ऑमानी रियाल उधार लेने से इनकारी की और दिनांक 29.6.1996 को कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया। वादी से 8500/- रूपए भी दिनांक 4.7.1996 को नहीं लिए न कोई पर्चा लिखकर दिया। दावे में लिखे तथ्यों से इनकारी की। न्यायालय को दावा सुनने का

क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि दस्तावेज मनाते दावा सुहार (विदेश) में लिखना बताया गया है। अत: दावा खारिज करने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

1. आया प्रतिवादी ने वादी से सुहार (सल्तनत ऑफ ओमान) में 500 ओमानी रियाल (भारतीय मुद्रा में 50,000/- रूपये) उधार लिये थे और इस संबंध में एक अनुबंध दिनांक 29.6.1996 को वादी के पक्ष में लिखा था?
---वादी
2. आया प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 4.7.96 को 8500/- रूपये उधार लिये थे और एक पर्चा लिखकर वादी को दिया था?
.---वादी
3. आया इस न्यायालय को यह वाद सुनने की क्षेत्रिया अधिकारिता प्राप्त है?
---वादी
4. आया वादी ने न्याय शुल्क कम पेश किया है?
---प्रतिवादी
5. अनुतोष।

वादी द्वारा साक्ष्य में पी.ड 1 यासीन व पी.ड.2 हाजी मुस्तका के बयान कराए गए। प्रतिवादी की साक्ष्य में डी.ड.1 हाकम अली के बयान हुए। तनकी नम्बर 3 का निर्णय कि न्यायालय को क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं, इस तनकी का निर्णय दिनांक 26.3.1999 को अधीनस्थ न्यायालय ने किया। चूंकि प्रतिवादी सामान्य रूप से चुरू का निवासी है और चुरू में ही रहता है, अत: धारा 20 सी.पी.सी. की रोशनी में दावा सुनने का अधिकार न्यायालय को होना माना गया।

तनकी नम्बर 4 के सम्बन्ध में भी निर्णय दिया गया कि जो कोर्टफीस दी गई है वह पर्याप्त है। तनकी नम्बर 1 वादी के हक में व तनकी नम्बर 2 वादी के विरूद्ध तय की गई। इस प्रकार 29.6.1996 को जो

500 ओमनी रियाल, जिसकी भारतीय मुद्रा में 50,000/- रूपए कीमत होती है, प्रतिवादी द्वारा वादी से लेना व अनुबन्ध लिखना प्रमाणित पाया। 8,500/- रूपए, जो 4.7.1996 को लेना बताया गया, उधार लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया। 50,000/- रूपए का दावा डिक्री मय खर्चे के किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यही है कि इस प्रकरण में वादी की साक्ष्य से प्रदर्श 1 लिखा पढ़ी प्रमाणित नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने पी.ड.1 यासीन के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनका तर्क है कि 500 रियाल प्रतिवादी को उधार देना और 50,000/- रूपए बकाया होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। प्रदर्श 1 अरबी भाषा में लिखा हुआ है, इस प्रकार इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वयं पी.ड.1 यासीन नहीं बता पाया है। उनका यह भी तर्क है कि पी.ड.2 हाजी मुस्ताक वादी यासीन का भाई है और यह स्वतंत्र गवाह नहीं है, इस साक्ष्य पर विश्वास करके अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की है उसे अपास्त की जावे।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट की तरफ से बहस रही कि डी.ड.1 हाकम अली ने अपने बयानो में प्रदर्श 1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। 500 रियाल उधार देने की बात यासीन व हाजी मुस्ताक के बयानो से प्रमाणित हुई है, अत: उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। इस न्यायालय के समक्ष यही प्रश्न है कि तनकी नम्बर 1 का निर्णय जो अधीनस्थ न्यायालय ने किया है वह साक्ष्य के अनुसार सही है या नहीं या साक्ष्य का मूल्यांकन

सही रूप से किया गया अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पी.ड.1 यासीन के बयान और पी.ड.2 हाजी मुस्ताक के बयानो पर विचार किया और प्रतिवादी की साक्ष्य पर भी विचार किया और वादी की साक्ष्य इस बाबत वजनी मानी गई कि वादी ने प्रतिवादी को 500 ओमानी रियाल, जिसकी कीमत 50,000/- रूपए होती है, 29.6.1996 को उधार दिए थे और वादी के पक्ष में प्रदर्श 1 अनुबन्ध निष्पादित किया। दिनांक 4.7.1996 को 8,500/- रूपए उधार देना और इस सम्बन्ध में वादी द्वारा पर्चा लिखने की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी गई। दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विश्लेषण के बाद तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में व तनकी नम्बर 2 वादी के विरूद्ध तय की गई।

मेरे द्वारा भी दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विचार किया गया। पी.ड.1 यासीन का कथन है कि 1996 की जून को हाकम अली को 500 रियाल उमान के दिए थे। एक रियाल की भारत में 100/- रूपए कीमत होती है। इस प्रकार उसे 50,000/- रूपए उधार दिए थे। प्रतिवादी ने यह कहा था कि वह भारत जाते ही रकम अदा कर देगा। उसके बाद हाकम अली चुरू आ गया। रकम मांगी तो देने से इनकार कर दिया। इस बाबत मस्कत में लिखा पढ़ी हुई (80 रियाल और 500 रूपए दूसरी बार उधार देने और प्रदर्श 2 के सम्बन्ध में चूंकि दावा वादी खारिज हुआ है और उसकी क्रोस अपील नहीं हुई है, इस सम्बन्ध में साक्ष्य पर विवेचन नहीं किया जा रहा है), जो प्रदर्श 1 है जिसकी नकल 1-ए है, जिस पर ए से बी हाकम अली के हस्ताक्षर है। जिरह में अवश्य स्वीकार किया है कि प्रदर्श 1 अरबी में लिखा हुआ है अत: उसे पता नहीं कि इसमें क्या लिखा है। इस बात को इनकार करता है

कि प्रदर्श 1 लिखा गया जब हाकम अली जेल में हो। विदेशी मुद्रा की दर घटती बढ़ती रहती है, इस समय तो और भी ज्यादा है।

पी.ड.2 हाजी मुस्ताक का भी कथन है कि हाकम अली प्रतिवादी मस्कत में काम करता था। यासीन वादी ने प्रतिवादी हाकम अली को 500 रियाल उधार दिए थे उस समय एक रियाल भारतीय मुद्रा में 100/- रूपए के बराबर था। इसके बाद 8,500/- रूपए भी दिए थे। दोनों की लिखा पढ़ी काजी के सामने हुई थी और दोनों लिखा पढ़ी पर हाकम अली ने हस्ताक्षर किए थे। यह रकम प्रतिवादी को चुरू में अदा करनी थी। उस समय वह भी वहां पर कार्य करता था और दूसरी कम्पनी में काम करता था। प्रदर्श 1 व 2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। मगर उपरोक्त गवाह के बयानो से 500 रियाल उधार देना जुबानी साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है और प्रदर्श 1 लिखा पढ़ी होना यासीन के बयानो से भी प्रमाणित हुआ है। हालांकि यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है और क्या तथ्य लिखे हैं वह नहीं जानता, मगर उसका अंग्रेजी अनुवाद अवश्य पेश हुआ है। डी.ड.1 हाकम अली ने 29.6.1996 को 500 ओमानी रियाल उधार लेने से इनकारी की है, न कोई लिखा पढ़ी की, बयान दिया है। वह पढ़ना लिखना नहीं जानता, हस्ताक्षर करना जानता है। प्रदर्श 1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना जिरह में स्वीकार किया है। वहां झगड़ा होने के कारण वह जेल चला गया था और जेल से छूटने के बाद वह भारत आ गया। इस प्रकार प्रतिवादी ने प्रदर्श 1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रदर्श 1 का अनुवाद प्रदर्श 1 के साथ दावे के साथ पेश हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि यासीन नूर मोहम्मद, जो भारतीय नागरिक है, 500 ओमानी रियाल लिए थे

और उसे दस एवं आधा (पन्द्रह) रियाल प्रतिमाह मासिक किश्तों में अदा कर देगा। अब्दुल्हा बिन मोहम्मद अली जोदावी सुहार के न्यायालय में यह डिक्लेरेशन 29.6.1996 को लिखा गया और उसमें सुहार न्यायालय के जज के हस्ताक्षर हैं और प्रतिवादी के भी इस पर ए से बी हस्ताक्षर हैं। प्रतिवादी हाकम अली ने यह स्वीकार भी किया है। इस प्रकार सुहार न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष ऐसा डिक्लेरशन जब प्रतिवादी ने दिया और अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तो इसमें लिखी इबारत को असत्य नहीं मानी जा सकती। प्रतिवादी पर यह भारी भार था कि वह साबित करता कि यह बिना बदल है जो प्रतिवादी की मात्र इनकारी आई है। वादी पी.ड.1 यासीन और पी.ड.2 हाजी मुस्ताक के बयानो से 500 ओमानी रियाल 29.6.1996 को उधार दिया जाना प्रमाणित हुआ है और प्रदर्श 1 पर प्रतिवादी ने हस्ताक्षर करना स्वीकार भी किया है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श 1 के आधार पर 500 रियाल प्रतिवादी द्वारा वादी से उधार लेना और अदायगी नहीं करना प्रमाणित पाया है, अधीनस्थ न्यायालय ने जो साक्ष्य का विवेचन किया है और 50,000/- रूपए की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्ध पारित की है, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप के आधार नहीं पाता।

फलस्वरूप, इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील मय खर्चे खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न यायाधिपति कृष्ण कुमार आचार्य)